रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L -33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 273] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2002/ज्येष्ठ 23, 1924
No. 273] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2002/JYAISTHA 23, 1924

महानिदेशक रक्षोपाय का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मई, 2002

रक्षोपाय जांच आरम्भ करने की सूचना

[सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1977 के नियम 6 के अधीन]

विषय : भारत में वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के आयातों से संबंधित रक्षोपाय जांच आरम्भ करना।

सा.का.नि. 426(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान एवं निर्धारण) नियमावली, 1977 के नियम 5 के अधीन सोलवैंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई (एसईएआई) ने भारत में वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के वर्धित आयात से घरेलू उत्पादकों को होने वाली गंभीर क्षति से बचाने के लिए भारत में वनस्पति तेलों के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए मेरे समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया है। खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेलों में सोयाबीन का तेल, मूंगफली का तेल, खजूर का तेल, पामोलीन और खजूर की गिरी का तेल, सूरजमुखी तेल, कर्डी/सूरजमुखी तेल, गोले का तेल, रेपसीड तेल (सरसों) चावल ब्रान तेल, तिल का तेल, सालसीड का तेल, कोकुम के बीज का तेल और अन्य खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेल सम्मिलित हैं। इसमें हाई-डोजिनेटिड अथवा वनस्पति को छोड़कर कच्चा और परिशोधित/शुद्ध दोनों तेल शामिल हैं।

2. घरेलू उद्योग

भारत में वनस्पति तेलों के उत्पादकों की 15,000 से अधिक तेल मिलें, 600 विलायक निष्कर्षण ईकाइयां और 400 परिशोधन ईकाइयां हैं। वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के लिए वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के घरेलू उत्पादकों की ओर से सोलवैंट एक्सट्रेक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इण्डिया, मुम्बई ने आवेदन प्रस्तुत किया है। अधिकांश तेल मिल, विलायक निष्कर्षण ईकाइयां और परिशोधन ईकाइयां एस.ई.ए.आई. के सदस्य हैं।

3. सम्बद्ध उत्पाद

आवेदकों ने भारत में वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के वर्धित आयातों से घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति का आरोप लगाया है। वनस्पति तेल वसीय एसिड (जैसे कि पामिटिक, स्टारिक और ओलेइक एसिड) के साथ ग्लिसरोल का एस्टर है। ये सामान्यतः पानी से हल्के तरल पदार्थ हैं। ये वनस्पति तेल "निर्धारित" वसा और तेल हैं अर्थात् अपघटन के बिना ये आसानी से आसवित नहीं किए जा सकते, जो वाष्पशील नहीं हैं और जो उच्च तापमान वाली भाप से हटाया नहीं जा सकता (जो उन्हें आसवित और चिकना करता है)। वनस्पति तेल प्रकृति में प्रचुर मात्रा में है और ये पौधों के कुछ भागों में सैल में पाया जाता है (अर्थात् बीज और फल) जिनसे उसे दबाव अथवा विलायकों के द्वारा निकाला जाता है। तेल 'कच्चा' अथवा परिशोधित/शुद्ध हो सकता है। निर्धारित वनस्पति तेल जो दबाव के जरिए निकाला जाता है वह 'कच्चा' समझा जाता है, यदि निस्तरण, अपकेन्द्रीकरण,

निस्यन्दन प्रक्रिया से नहीं निकाला है, बशर्ते कि तेल को ठोस कणों से अलग करने के लिए किसी भी निस्यन्दन प्रक्रिया, प्रभाजन अथवा अन्य किसी शारीरिक अथवा केमिकल प्रक्रिया को छोड़कर यांत्रिक शक्ति जैसे कि घनत्व, दबाव अथवा अपकेन्द्रित शक्ति का ही प्रयोग किया गया हो। यदि निष्कर्ष के द्वारा तेल निकाला गया है तो तेल को कच्चा समझा जाना चाहिए बशर्ते कि दबाव के जरिए निकाले गए तेल की तुलना में इसका रंग, खुशबु और स्वाद को बदला न जाए। वनस्पति तेल को विशुद्धीकरण से धोकर, निस्यन्दन करके, विरंजीकरण से, विअमलीकरण से अथवा निर्गन्धीकरण प्रक्रियाओं से 'परिशुद्ध' अथवा 'शुद्ध' किया जाता है। व्यवहार की दृष्टि से वनस्पति तेलों को 'खाद्य तेलों' और अखाद्य तेलों अथवा 'औद्योगिक तेलों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। हालांकि वर्तमान आवेदन केवल खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेलों को आच्छादित करता है। यह अखाद्य श्रेणी के वनस्पति तेलों को आच्छादित नहीं करता। खाद्य श्रेणी के वनस्पति तेलों का प्रयोग खाना पकाने के लिए, सलाद सजाने के लिए और अनेकों खाद्य पदार्थ जैसे कि मारगरीन, पथ्य अनुपूरक इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। विशिष्ट तेल को कुछ विशेष खाना बनाने की विधियों में प्राथमिकता दी जा सकती है। यद्यपि विभिन्न वनस्पति तेलों को आपस में एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। अलग-अलग परिवारों के स्वाद और अन्य प्राथमिकताओं के आधार पर विभिन्न परिवारों में लगभग पाक क्रिया में अथवा एक समान विधि में विभिन्न तेलों का प्रयोग किया जाता है। सीमा शुल्क टैरिफ के अधीन वनस्पति तेलों को नीचे वर्गीकृत किया गया है :—

शीर्षक		विवरण
15.07		सोयाबीन का तेल
	1507.10	कच्चा तेल, चिकना हो अथवा न हो
	1507.90	अन्य
15.08	—	मूंगफली का तेल
	1508.10	कच्चा तेल
	1508.90	अन्य
15.11	—	ताड़ का तेल पामोलिन भी सम्मिलित
	1511.10	कच्चा तेल
	1511.90	अन्य
15.12	—	सूरजमुखी-बीजों का तेल अथवा सैफ फ्लावर करडो का तेल
	1512.11	कच्चा तेल
	1512.19	अन्य
15.12	—	खल का तेल
	1512.21	कच्चा तेल, चाहे गोसीपोल हटाया गया हो अथवा नहीं
	1512.29	अन्य
15.13	—	गोले का तेल
	1513.11	कच्चा तेल
	1513.19	अन्य
15.13	—	ताड़ कर्नेल अथवा बाबासु का तेल
	1513.21	कच्चा तेल
	1513.29	अन्य
15.14	—	रेप, कोल्जा अथवा सरसों का तेल निम्न इश्युसिक एसिड रेप अथवा कोल्जा का तेल
	1514.11	कच्चा तेल
	1514.19	अन्य
		अन्य
	1514.91	कच्चा तेल
	1514.99	अन्य
15.15	—	अन्य निर्धारित वनस्पति वसा और तेल
	1515.50	तिल का तेल
	1515.90	अन्य

4. वर्धित आयात

भारत में वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) का आयात मुख्यत: अर्जेन्टीना, आस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, पूर्वी यूरोप, यूरोपियन संघ, इंडोनेशिया, मलेशिया और अमरीका से होता है। खाद्य तेलों का आयात तेल वर्ष (नवम्बर-अक्टूबर) 1992-1993 में केवल 2.00 लाख मी. टन तेल से वर्ष 2000-2001 (नवम्बर-अक्टूबर) में 48.3 लाख टन तक बढ़ गया। गत तीन वर्षों में लगभग 132 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तेल वर्ष 1999-2000 के दौरान आयातित वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) की कीमत केवल 6733.13 करोड़ रु. थी जो तेल वर्ष 2000-2001 के दौरान 7012.89 करोड़ रु. तक बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय विख्यात प्रकाशन "आयाल वर्ल्ड एनुवल, 2001" में दिए गए आंकड़ों में 1996 और 2000 के बीच भारत में आयातित वनस्पति तेलों की मात्रा में 3.5 फीसदी वृद्धि दर्ज की अर्थात् 15.14 लाख मी. टन से 49.20 लाख मी. टन।

5. क्षति

वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के आयात ने वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के घरेलू उत्पादकों को गंभीर क्षति पहुंचाई है/की आशंका है जैसा कि निम्नलिखित सारणी से साक्ष्य मिलता है :—

लाख मी. टन

वर्ष	घरेलू उत्पादन	आयात	कुल घरेलू खपत (ए डी सी)	ए डी सी में घरेलू उत्पादन का अंश
1992-93	68.1	2.0	70.1	97%
1993-94	69.3	3.3	72.6	95%
1994-95	71.9	10.0	81.9	88%
1995-96	72.2	14.8	87.0	83%
1996-97	74.2	17.5	91.7	81%
1997-98	67.9	20.8	88.7	77%
1998-99	69.1	43.9	113.0	61%
1999-00	63.2	45.0	108.0	58%
2000-01	58.1	48.3	106.4	55%

(क) यह देखा जा सकता है कि वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) का आयात 1992-1993 में 2 लाख मी. टन से 2000-2001 में 48.3 मी. टन तक बढ़ गया।

(ख) बाजार का आकार जो कि वर्ष 1992-93 में 70.1 मी.टन था वह वर्ष 1998-99 में लगातार 113.0 लाख मी.टन तक बढ़ गया। उसके पश्चात् वर्ष 1999-2000 में बाजार में 108.00 मी.टन तक थोड़ी सी कमी हुई जोकि 2000-2001 में 106.4 लाख मी.टन तक गिए गई। दूसरी ओर वनस्पति तेलों का घरेलू उत्पादन 1992-93 में 68.1 लाख मी.टन से 2000-2001 में 58.1 लाख मी.टन तक नीचे आ गया—10 लाख (15%) मी. टन की गिरावट।

(ग) जबकि संपूर्ण बाजार आकार 1992-93 और 2000-2001 के बीच 36.4 लाख मी.टन तक बढ़ गया था—लगभग 52% की वृद्धि, घरेलू उत्पादन का मार्केट शेयर वास्तविक मदों एवं संबंधित मदों में नीचे आ गया है। घरेलू उद्योगों का मार्केट शेयर 1992-93 में 97% से 2000-2001 में मात्र 55% तक नीचे आ गया। पिछले चार वर्षों के दौरान घरेलू उद्योगों का शेयर 1997-98 में 77% से 2000-2001 में 55% तक नीचे आ गया। घरेलू उद्योगों का मार्केट शेयर पिछले पूरे दशक में वर्ष दर वर्ष लगातार गिरी है।

(घ) घरेलू उत्पादकों की क्षमता उपयोगिता लगभग 25,30% है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान स्थिर रही है।

(ङ) घरेलू उद्योगों की बिक्री 1998-99 में 69.1 लाख मी.टन से 2000-2001 के दौरान 58.1 लाख मी.टन तक गिर गई। घरेलू बिक्री की कीमतें अचानक कम हो गई हैं। वर्ष 2002 में मुम्बई बाजार में बहुत से खाद्य तेलों की वार्षिक औसतन कीमतें 1991 में विद्यमान कीमतों की तुलना में सार्थक रूप में कम थीं। जबकि अन्य सभी वस्तुओं की कीमतें पिछले दशक के दौरान साधारणतया बढ़ी हैं। वहीं खाद्य तेलों की कीमतें

इस प्रवृत्ति के विपरीत रही और इनमें स्पष्ट गिरावट दर्ज की गई। यदि कीमतों ने थोक बिक्री मूल्य इंडेक्स का अनुसरण किया होता तो, कीमतों का वर्तमान स्तर कहीं ऊंचा होता। मूँगफली के तेल के अलावा वनस्पति तेलों की वार्षिक औसत कीमतें विगत दस वर्षों के दौरान सार्थक रूप में नीचे आ गई हैं। वास्तव में केवल दस वर्षों के औसत मूल्य वर्ष 2000 के औसत मूल्य से कहीं अधिक है। घरेलू उद्योगों की प्रति इकाई प्राप्ति पूर्व के 10 वर्षों की तुलना में कहीं कम है। घरेलू कीमतों की तुलना में आयात मूल्य कहीं कम है जिसके कारण घरेलू उद्योगों को मूल्यों के सर्वविनाशक स्तर पर कार्य करने को बाध्य होना पड़ा।

(च) भारतीय खाद्य तेल उद्योगों की कुल बिक्री प्राप्ति वर्ष 1997-98 में 11243.1 करोड़ से 1999-2000 में लगभग 5% की गिरावट दर्ज करते हुए 10722.8 करोड़ रु. तक नीचे गिर गई। संचालन लाभ 1998-99 में 247.5 करोड़ रु. से 1999-2000 में 57% की गिरावट के साथ 106.4 करोड़ रु. तक नीचे गया। कर पश्चात् लाभ (पीएटी) जोकि 1995-96 में 92.4 करोड़ रु. था, नीचे गिरा एवं वर्ष 1999-2000 में उद्योगों ने 149.2 करोड़ रु. की हानि दर्ज की। कुल निर्धारित संपत्ति 1997-98 की समाप्ति पर 2477.6 करोड़ रु. से 1999-2000 की समाप्ति पर 2441 करोड़ रु. तक नीचे आ गई।

(छ) सभी जगह खाद्य तेल की कीमतें मांग से ज्यादा आपूर्ति के कारण 28% से 64% की रेंज में गिर गई। कम अंतर्राष्ट्रीय कीमतों ने भारतीय घरेलू कीमतों को गिरा दिया जिससे कीमतों के स्तर में जबरदस्त कटौती हुई। कीमतों में मंदी और कीमतों पर पड़ा, वनस्पति तेलों की नीची कीमतों ने तेल के बीजों की कीमतें भी नीचे गिरा दी, बहुत से मामलों में वनस्पति तेल की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम संभरण कीमत (एमएसपी) से भी नीचे चली गई। तेल के बीजों की कम कीमतों ने किसानों को मजबूर कर दिया कि वे तेल के बीजों की उपज के बदले अन्य फसल उगाएं जिसके परिणामस्वरूप तेल बीजों का उत्पादन कम होता चला गया। कम तेल बीज उत्पादन के फलस्वरूप पेराई और निष्कर्षण उद्योग उपयोगिता क्षमता घट गई। कम अवधि में 129 से अधिक वनस्पति तेल की ईकाइयाँ बंद हो गईं जिसके परिणामस्वरुप 18,000 से अधिक लोगों के रोजगार की क्षति हुई। भारतीय वनस्पति तेल बाजार का आकार 1997 में 88.7 लाख मी. टन से 2000-2001 तक 106.4 लाख मी. टन तक विकसित हुई अर्थात् 20% की वृद्धि। यद्यपि इस प्रकार के विकासशील बाजार में घरेलू उद्योग का अंश 1997-98 में 77% से 2000-2001 में 55% तक गिर गया। आयात इतनी अधिक मात्रा में हुए कि घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति हुई। घरेलू उद्योग की बिक्री की वसूली भी बहुत कम हो गई है। 1995-96 में उद्योग ने कर देने के बाद 92.4 करोड़ रुपयों का लाभ कमाया लेकिन वर्धित आयातों के कारण कीमतों में कटौती के कारण वर्ष 1999-2000 में उद्योग को 149.2 करोड़ रु. की हानि हुई। क्योंकि तेल के बीजों की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित एम एस पी के बराबर अथवा नीचे चल रही हैं। निवेश कीमतें बहुत अधिक नहीं बढ़ी हैं। यद्यपि हानि पूर्ण रूप से बिक्री प्राप्ति में गिरावट के कारण है जो कि वर्धित आयात के कारण कम हुई कीमतों से सीधे तौर पर जुड़ी है।

6. आवेदकों ने वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के आयात रक्षोपाय शुल्क के लिए आवेदन किया है। उन्होंने अनन्तिम रक्षोपाय शुल्क के तत्काल अधिरोपण के लिए भी प्रार्थना की है।

7. आवेदन का परीक्षण किया गया है और प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के वर्धित आयात ने वनस्पति तेल (खाद्य श्रेणी) के घरेलू उत्पाद को गंभीर क्षति पहुंचाई है/की आशंका है और तदनुसार इस नोटिस के माध्यम से जाँच प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है।

8. सभी इच्छुक पक्ष अपने ज्ञात दृष्टिकोणों से 12 जुलाई 2002 तक अधोहस्ताक्षरी को अवगत करा दें।

महानिदेशक (रक्षोपाय)

पंचम तल, ड्रम शेप बिल्डिंग,

आई.पी. भवन, आई. पी. इस्टेट,

नई दिल्ली-110002

भारत

9. सभी ज्ञात इच्छुक पक्षों को अलग से भी सूचित किया जा रहा है।

10. कोई अन्य पक्ष जो जाँच में इच्छुक पक्ष के रूप में समझे जाने के इच्छुक हो, अपना अभ्यावेदन महानिदेशक (रक्षोपाय) को इस नोटिस की तिथि के 21 दिन के अन्दर प्रेषित कर दें।

[फा.सं. एसजी/आईएनवी/2/2002]

आर. के. गुप्ता, महानिदेशक

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th May, 2002

Notice of Initiation of a Safeguard Investigation

[Under Rule 6 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997]

Subject : Initiation of Safeguard Investigation concerning imports of Vegetable Oil (Edible Grade) into India.

G.S.R 426(E).— An application has been filed before me under Rule 5 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 by The Solvent Extractors' Association of India, Mumbai for imposition of Safeguard duty on imports of Vegetable Oil (Edible Grade) into India to protect domestic producers against serious injury caused by the increased imports of Vegetable Oil (Edible Grade) into India. Vegetable Oils of Edible Grade includes Soyabeen Oil, Groundnut Oil, Palm Oil, Palmolein and Palm Kernel Oil, Sunflower Oil, Kardi/Safflower Oil, Coconut Oil, Rapeseed Oil (Mustard), Rice Bran Oil, Sesame Oil, Salseed Oil, Kokum Seed Oil and other vegetable oil of edible grade. It includes both crude oil as well as refined oil but excludes hydrogenated oils or vanaspati.

2. **Domestic Industry**

Since the vegetable oil producers in India comprise of over 15,000 oil mills, 600 solvent extraction units and 400 refining units. The application has been filed by The Solvent Extractors' Association of India, Mumbai on behalf of the domestic producers of Vegetable Oil (Edible Grade) for imposition of safeguard duty on imports of Vegetable Oil (Edible Grade). Majority of oil mills, solvent extraction units and refining units are members of the SEAI.

3. **Product Involved**

The applicants have alleged serious injury caused to the domestic producers by the increased imports of Vegetable Oil (Edible Grade) into India. Vegetable oils are esters of glycerol with fatty acids (such as palmitic, staric and oleic acids). They are generally fluid and lighter than water. These vegetable oils are 'fixed' fats and oils i.e. they cannot easily be distilled without decomposition, which are not volatile and which cannot be carried off by superheated steam which decomposes and saponifies them. Vegetable oils occur widely in nature and are found in the cells of certain parts of plants (e.g. seeds and fruit), from which they are extracted by pressure or by means of solvents. Pressing may be through hydraulic or expeller presses. Oil may be 'crude' or 'refined/purified'. Fixed Vegetable Oils obtained by pressure shall be considered as 'crude', if they have undergone no processing other than decantation, centrifugation, filtration, provided that, in order to separate the oils from solid particles only mechanical force, such as gravity, pressure or centrifugal force, has been employed, excluding any absorption filtering process, fractionation or any other physical or chemical process. If obtained by extraction, an oil shall continue to be considered to be 'crude', provided it has undergone

no change in colour, odour, or taste when compared with the corresponding oil obtained by pressure.Vegetable oils may be 'refined' or 'purifed' by clarifying, washing, filtering, decolourising, deacidifying or deodorizing processes. In terms of usage, Vegetable oils may be classified into 'edible oils' and 'non-edible oils or industrial oils'. The present application, however, covers only vegetable oils of edible grade. It does not cover vegetable oils of non-edible grade. Vegetable oils of edible grade are used as cooking medium, for salad dressing and for making a number of food products such as margarine, dietary supplements, etc. A particular oil may be preferred for making certain specific recipes. However, there is a high degree of inter-changeability between various vegetable oils. Depending upon taste and other preferences of individual households, different households may use different oils for almost similar cooking purposes or for making the same recipe. Vegetable oils are classified under the Customs Tariff as under :

Heading		Description
15.07		**Soyabeen Oil**
	1507.10	Crude Oil, whether or not degummed
	1507.90	Other
15.08		**Groundnut Oil**
	1508.10	Crude Oil
	1508.90	Other
15.11		**Palm Oil** *[includes Palmolein also]*
	1511.10	Crude Oil
	1511.90	Other
15.12		**Sunflower-seed Oil or Safflower** *(Kardi)* **Oil,**
	1512.11	Crude Oil
	1512.19	Others
15.12		**Cotton Seed Oil**
	1512.21	Crude Oil, whether or not gossypol has been removed
	1512.29	Other
15.13		**Coconut Oil**
	1513.11	Crude Oil
	1513.19	Other
15.13		**Palm Kernel or babassu Oil**
	1513.21	Crude Oil
	1513.29	Other
15.14		**Rape, Colza or Mustard Oil**
		Low erucic acid rape or colza oil
	1514.11	Crude Oil
	1514.19	Other

		Others
	1514.91	Crude Oil
	1514.99	Other
15.15		**Other fixed vegetable fats and oils**
	1515.50	Sesame Oil
	1515.90	Others

4. **Increased Imports**

Vegetable Oil (Edible Grade) is imported into India mainly from Argentina, Australia, Brazil, Canada, East Europe, European Union, Indonesia, Malaysia and USA. Import of edible oils have increased from a mere 2.00 lakh MT in the oil-year 1992-93 to 48.3 lakh MT in the oil-year 2000-01(November-October). The increase in the past three years is about 132%. The value of Imported Vegetable Oil (Edible Grade) during the oil year 1999-2000 was only Rs.6733.13 crores which increased to Rs.7012.89 crores during the oil-year 2000-2001. Data appearing in the reputed international publication 'Oil World Annual : 2001' the quantity of vegetable oils imported into India have registered a 3.5 times increase between 1996 and 2000 i.e. from 15.14 lakh MT to 49.20 lakh MT.

5. **Injury**

Imports of Vegetable Oil (Edible Grade) have caused/threatened to cause serious injury to the domestic producers of Vegetable Oil (Edible Grade) as would be evident from the following table.

(Lakh MT)

Year	Domestic Production	Imports	Apparent Domestic Consumption (ADC)	Share of domestic production in ADC
1992-93	68.1	2.0	70.1	97%
1993-94	69.3	3.3	72.6	95%
1994-95	71.9	10.0	81.9	88%
1995-96	72.2	14.8	87.0	83%
1996-97	74 2	17.5	91.7	81%
1997-98	67.9	20.8	88.7	77%
1998-99	69.1	43.9	113.0	61%
1999-00	63.2	45.0	108.2	58%
2000-01	58.1	48.3	106.4	55%

(a) It may be observed that imports of Vegetable Oil (Edible Grade) have increased from 2 Lakh MTs in 1992-93 to 48.3 MTs in 2000-01

(b) The market size which was 70.1 lakh MT in the year 1992-93 grew continuously to reach 113.0 lakh MT in the year 1998-99. Thereafter, the market went down marginally to 108.2 lakh MT in 1999-00 and further to 106.4 lakh MT in 2000-01. On the other hand, domestic production of vegetable oils has come down from 68.1 lakh MT in 1992-93 to 58.1 lakh MT in 2000-01 - a fall of 10 lakh MT [15%].

(c) While the Overall market size has grown by 36.4 lakh MT between 1992-93 and 2000-01 - an increase of about 52%, the market share of domestic production has come down both in absolute terms and relative terms. The share of domestic industry has come down from 97% in 1992-93 to a mere 55% in 2000-01. During the last 4 years, the share of domestic industry has come down from 77% in 1997-98 to 55% in 2000-01. The market share of domestic industry has fallen continuously year-after-year throughout the last decade.

(d) The capacity utilisation of domestic producer is about 25-30% and has remained stagnant during the last few years.

(e) The sales of the domestic industry has come down from 69.1 lakh MT in the year 1998-99 to 58.1 lakh MT during 2000-01.The domestic sale prices have come down drastically. The Annual Average prices of most of the edible oils at Mumbai market for the year 2000 were significantly lower than the prices that prevailed in 1991. While the prices of all other commodities have generally increased during the past decade, prices of edible oils alone have defied the trend and have registered an absolute fall. Had the prices followed the wholesale price index, the current level of prices would have been far higher. The Annual Average Prices [AAP] of vegetable oils except Groundnut oil have come down quite significantly during the last 10 years. In fact, even the 10 year average prices are much higher than AAP for the year 2000. The per unit realisation of the domestic industry is far less than what it was 10 years ago. The import prices are far too low compared to domestic prices forcing the domestic industry to operate at self-destructive levels of prices.

(f) The net sales realisation of the Indian edible oil industry came down from Rs. 11243.1 crores in the year 1997-98 to Rs.10722.8 crores in 1999-2000 registering a fall of about 5%. Operating profit has come down from Rs.247.5 crores in 1997-98 to Rs.106.4 crores in 1999-2000 a fall of 57% . Profit After Tax [PAT] which was Rs.92.4 crores in 1995-96 declined and the industry recorded a loss of Rs.149.2 crores in the year 1999-2000. Gross Fixed Assets came down from Rs.2477.6 crores at the close of 1997-98 to Rs.2441 crores at the close of 1999-2000.

(g) Global vegetable oil prices decreased in the range of 28% to 64% due to excess supply over demand; Lower international prices drove the Indian domestic prices downwards causing alarming levels of price undercutting, price depression and price suppression;

Lower domestic prices of vegetable oils drove down the prices of oils seeds, in many cases, vegetable oil prices went below Minimum Support Price (MSP) fixed by the Government; Lower oil seeds prices forced farmers to shift land under cultivation of oil seeds to other crops which resulted in less and lesser oil seeds production; Less oil seed production resulted in lesser capacity utilisation by the oil crushing and extracting industry; More than 129 vegetable oil units closed down in a short span resulting in loss of employment for over 18000 people; The size of the Indian Vegetable Oil Market grew from 88.7 lakh MT in 1997 to 106.4 lakh MT by 2000-01 - an increase of 20%. However, in such an expanding market, the share of domestic industry came down from 77% in 1997-98 to 55% in 2000-01. The imports have occurred in such increasing quantities to cause serious injury to the domestic industry. The sales realisation of the domestic industry has come down. Industry earned a profit after tax of Rs. 92.4 crores in 1995-96, but due to price undercutting by increased imports, the industry suffered a loss of Rs.149.2 crores in the year 1999-2000. Since the domestic oil seed prices are ruling at or below the MSP fixed by the Government, input prices have not gone up significantly. Therefore, the losses are solely due to the fall in sales realisation, which is directly attributable to the price undercutting caused by increased imports.

6. The applicant have requested for imposition of safeguard duty on imports of Vegetable Oil (Edible Grade). They have also requested for an immediate imposition of provisional safeguard duty.

7. The application has been examined and it appears that prima facie increased imports of Vegetable Oil (Edible Grade) have caused/threatened to cause serious injury to the domestic producers of Vegetable Oil (Edible Grade) and accordingly it has been decided to initiate an investigation through this notice.

8. All interested parties may make their views known by 12th July, 2002 to:

The Director General (Safeguards)
5th Floor, Drum Shape Building,
I.P.Bhawan, I.P.Estate,
New Delhi-110002.
India.

9. All known interested parties are also being addressed separately.

10. Any other party to the investigation who wishes to be considered as an interested party may submit its representation so as to reach the Director General (Safeguards) within 21 days from the date of this notice.

[F.No. SG/INV/2/2002]

R. K. GUPTA, Director General

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.